12.7.22 वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रा०पत्र O23 R1 CPC का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र O23 R1 CPC इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 63 का निधन हो चुका है व उसके वारिसान रिकार्ड पर है एवं प्रतिवादी संख्या 63 का निधन दावा दायरी से पूर्व हो चुका था। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का हिस्सा भी भूलवश गलत दर्ज हो गया है इसलिए वर्तमान वाद को विड्रो कर सही तथ्यो के साथ पुनः दावा पेश करने की अनुमति चाही है।

वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादीगण द्वारा चाहे गये संशोधन दावे में किये जा सकते है एवं वादीगण द्वारा दावा विड्रो का सही कारण नहीं बताया है।

उभयपक्ष के अभिवचनों का मनन करने पर प्रकरण के प्रभावी निस्तारण

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

हेतु वाद पत्र की त्रुटियों में संशोधन किया जाना आवश्यक है, चूंकि समस्त वादपत्र में वादीगण पुनः हिस्से अनुसार एवं वर्तमान में जीवित पक्षकारों को पक्षकार बनाते हुये नवीन दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं, न्यायहित में दावा विड्रो कर पुनः पेश करने की अनुमति दिया जाना हम उचित समझते हैं

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना 023 R1 CPC स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण को पुनः वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ दावा विड्रो करने की अनुमति दी जाती है दावा विड्रो के आधार पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)